

प्रेषक,

रितु माहेश्वरी

(आई०ए०एस०)

मिशन निदेशक,

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,

उ०प्र०।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण,

भारत सरकार, नई दिल्ली।

पत्रांक-ए०बी०डी०एम०यू०पी०/2024-25/426

दिनांक-13.02.2025

विषय:- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में डी०एच०आई०एस० के अर्न्तगत पंजीकृत पब्लिक/प्राइवेट फेसिलिटीज के लम्बित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के मार्ग दर्शन में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन उ०प्र० में भी किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं स्वास्थ्य सेवा इकाईयों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट लागू किया गया और वर्तमान में प्रदेश में सर्वाधिक 35 माइक्रोसाइट का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंगीकरण में होने वाले सम्भावित खर्चों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत आपके द्वारा डिजिटल हेल्थ इन्सेन्टिव स्कीम (DHIS) लागू किया गया। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि डिजिटल हेल्थ इन्सेन्टिव स्कीम (DHIS) के अर्न्तगत पंजीकृत निजी एवं सरकारी चिकित्सा इकाईयों को कतिपय कारणों से प्रोत्साहन राशि कुछ समय से लम्बित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि डिजिटल हेल्थ इन्सेन्टिव स्कीम (DHIS) के अर्न्तगत लम्बित प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय



(रितु माहेश्वरी)

(आई०ए०एस०)

मिशन निदेशक

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ०प्र०।

पत्रांक:-ए०बी०डी०एम०यू०पी०/2024-25/427(1-3) तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
3. गार्ड फाइल।

(डा० मोहित सिंह)

संयुक्त निदेशक,

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ०प्र०।

प्रेषक,

रितु माहेश्वरी

(आई०ए०एस०)

मिशन निदेशक,

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन,
उ०प्र०।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण,
भारत सरकार, नई दिल्ली।

पत्रांक-ए०बी०डी०एम०यू०पी०/2024-25/

दिनांक-13.02.2025

विषय:- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, परियोजना के अंतर्गत प्रदेश में डी०एच०आई०एस० के अर्न्तगत पंजीकृत पब्लिक/प्राइवेट फेसिलिटीज के लम्बित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार के मार्ग दर्शन में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्रियान्वयन उ०प्र० में भी किया जा रहा है। निजी क्षेत्र में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं एवं स्वास्थ्य सेवा इकाईयों को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा 100 माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट लागू किया गया और वर्तमान में प्रदेश में सर्वाधिक 35 माइक्रोसाइट का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंगीकरण में होने वाले सम्भावित खर्चों एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत आपके द्वारा डिजिटल हेल्थ इन्सेन्टिव स्कीम (DHIS) लागू किया गया। उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि डिजिटल हेल्थ इन्सेन्टिव स्कीम (DHIS) के अर्न्तगत पंजीकृत निजी एवं सरकारी चिकित्सा इकाईयों को कतिपय कारणों से प्रोत्साहन राशि कुछ समय से लम्बित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि डिजिटल हेल्थ इन्सेन्टिव स्कीम (DHIS) के अर्न्तगत लम्बित प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(रितु माहेश्वरी)

(आई०ए०एस०)

मिशन निदेशक

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ०प्र०।

पत्रांक:-ए०बी०डी०एम०यू०पी०/2024-25/427(1-3) तददिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
2. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
3. गार्ड फाइल।



(डा० मोहित सिंह)

संयुक्त निदेशक,

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उ०प्र०।